

## प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 04.12.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 01 नफर  
अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0आ0सं0 313/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित 01 नफर अभियुक्ता रीता देवी पत्नी कुसहर निवासी डीहघाट बारी टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर व 01 नफर अभियुक्त विकास कुमार पुत्र स्व0 झिन्नी राम निवासी इटोहरा मिश्र थाना लार बाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर वादिनी की जमीन बैनामा करा लिया गया। जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता-

1. रीता देवी पत्नी कुसहर निवासी डीहघाट बारी टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर
2. विकास कुमार पुत्र स्व0 झिन्नी राम निवासी इटोहरा मिश्र थाना लार बाजार जनपद देवरिया

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0आ0सं0 313/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भा0न्या0सं0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. म0उ0नि0 हिमांशी पाण्डेय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 प्रभात थाना एम्स जनपद गोरखपुर